

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रशासनिक आदेश संख्या-20 दिनांक 21-11-2023

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी विज्ञप्ति/निर्देश के अनुपालन में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02, 03, 04 एवं 05 (रिक्त न्यायालय) के क्रियान्वित हो जाने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय अलीगढ़ से सम्यक विचार-विमर्श सम्मति एवं अनुमोदनोपरांत न्यायालयों में आपराधिक मामलों के सुचारु विचारण/निस्तारण हेतु निम्न कार्य वितरण आदेश पारित किया जा रहा है:-

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

1. थाना बन्नादेवी, क्वार्सी, सिविल लाईन एवं महुआखेड़ा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी वादों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।
2. थाना रोरावर से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी वाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. जनप्रतिनिधि से सम्बन्धित वादों का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02, अलीगढ़।

1. थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना दादों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. थाना अकराबाद से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03, अलीगढ़।

1. थाना देहलीगेट से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना जँवा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. बहिसर्त्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास की अधिकारिता के अन्तर्गत थाना इगलास व गोण्डा से सम्बन्धित सत्र सुपुर्द किये जाने वाले प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज(क0प्र0), कोर्ट संख्या-03 से वापिस लेकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विरचित किये जायेंगे।
4. सरकारी अधिसूचना संख्या 804/सात-न्याय-2-2001-216-77 दिनांक 28, सितम्बर 2001 के अधीन गठित सहकारी समितियों के गबन से सम्बंधित मामलों का विनिश्चय करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में जिले में नियुक्त द्वितीय ज्येश्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। अतः सहकारी समितियों के गबन से सम्बंधित इस जनपद के समस्त आपराधिक मामले वर्तमान विचारित न्यायालय अपर सिविल जज(क0प्र0), कोर्ट संख्या-03 से वापस लेकर इस न्यायालय में संस्थित एवं विरचित किये जायेंगे।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-04, अलीगढ़।

1. थाना गाँधीपार्क से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना टप्पल से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. थाना साईबर क्राईम से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

4. थाना गोधा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-05, अलीगढ़।

1. थाना सासनीगेट से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

2. थाना रोरावर से सम्बन्धित समस्त प्रकार के परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

3. बहिसर्त्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली की अधिकारिता के अन्तर्गत थाना अतरौली एवं पालीमुकीमपुर से सम्बन्धित सत्र सुपुर्द किये जाने वाले प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01 से वापिस लेकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विरचित किये जायेंगे।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01

1. थाना छर्डा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

2. थाना गभाना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज(क0प्र0), कोर्ट संख्या-01, अलीगढ़ से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

3. थाना क्वार्सी से सम्बन्धित परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

4. बहिसर्त्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खैर की अधिकारिता के अन्तर्गत थाना खैर एवं पिसावा से सम्बन्धित सत्र सुपुर्द किये जाने वाले प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 से वापिस लेकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विरचित किये जायेंगे।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02

1. थाना बरला से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-03 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना मड़राक से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-03 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. थाना चण्डौस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
4. थाना सिविल लाइन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03

1. थाना हरदुआगंज से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय सिविल जज (क0प्र0)/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना लोधा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।

सिविल जज(क0प्र0)/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-01

1. थाना महिला थाना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03, अलीगढ से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
2. थाना महुआखेड़ा से सम्बन्धित परिवाद पर आधारित प्रकरण का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।
3. जनपद के समस्त थानों से सम्बन्धित घरेलू हिंसा के वादों का संस्थान एवं विचारण यथावत रहेगा।

सिविल जज(क0प्र0)/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-02

1. थाना गंगीरी से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरणों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।
2. थाना विजयगढ़ से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 से वापिस होकर इस न्यायालय द्वारा संस्थित एवं विचारित किये जायेंगे।
3. थाना बन्नादेवी से सम्बन्धित समस्त प्रकार के परिवाद पर आधारित प्रकरणों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।

- नोट:- 01- उपर्युक्त के अतिरिक्त विशेष आदेश के अन्तर्गत स्थानान्तरित विचाराधीन पत्रावलियों का विचारण यथावत रहेगा।
- 02- ग्राम्य न्यायालय गभाना के क्षेत्राधिकार के थानों से सम्बन्धित प्रकरणों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।

यह आदेश दिनांक 22-11-2023 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांक: नवम्बर 21, 2023

(संदीप)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अलीगढ़।